SIR की वैधता: ADR निर्णय और नागरिकता-जाँच की सीमा

चुनाव-शासन और संवैधानिक शक्तियाँ | समाचार संदर्भ: 27 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट (प्रधान न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ) ने ADR बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2026 INSC 564) में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता कायम रखी — मतदाता-सूचियों के राज्यव्यापी पुनरीक्षण को धारा 21(3) और अनुच्छेद 324 से जुड़ी वैध शक्ति बताया, आनुपातिकता की कसौटी पर खरा पाया, पर साथ ही नागरिकता-जाँच की सीमा स्पष्ट की: आयोग केवल 'सीमित जाँच' कर सकता है, नागरिकता का अंतिम निर्णय नहीं।

खबरों में क्यों

बिहार SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं में न्यायालय के निष्कर्ष: (क) SIR RP अधिनियम की धारा 21(3) + अनुच्छेद 324 से प्रमाणित शक्ति — 'किसी निर्वाचन-क्षेत्र या उसके भाग' में 'सभी' भी शामिल; (ख) आनुपातिकता की कसौटी पूरी — तर्कसंगत संबंध, अत्यधिक नहीं, प्रक्रियागत सुरक्षा पर्याप्त; (ग) सूची में समावेश की खंडनीय मान्यता (rebuttable presumption) — लाल बाबू हुसैन सीमित संदर्भ का; (घ) विलोपन नियम 21A के विरुद्ध नहीं — नोटिस-सुनवाई के सार सुरक्षित; (ङ) दस्तावेज़-व्यवस्था मनमानी नहीं (आधार को 08.09.2025 आदेश से शामिल किया गया था); (च) आयोग पात्रता-संतोष के लिए नागरिकता की 'सीमित जाँच' कर सकता है — परिणाम केवल निर्वाचन-क्षेत्र तक सीमित, नागरिकता-दावा छिनता नहीं; (छ) संदिग्ध-नागरिकता पर हटाए गए नाम नागरिकता अधिनियम 1955 की सक्षम प्राधिकारी (गृह मंत्रालय-तंत्र) को भेजे जाएँ; नागरिक पाए जाने पर पुनः समावेश।

'सीमित जाँच' बनाम 'नागरिकता-निर्णय'

निर्णय की रीढ़ यही भेद है। आयोग मतदाता-सूची में शामिल करने की पात्रता जाँचने के लिए नागरिकता पर सीमित, सहायक जाँच कर सकता है — इसका परिणाम सिर्फ मतदान-अधिकार तक। पर नागरिकता का 'अंतिम निर्धारण' (determination in the strict sense) आयोग का काम नहीं — वह नागरिकता अधिनियम 1955 की सक्षम प्राधिकारियों का क्षेत्र है। इसलिए संदिग्ध मामले आयोग नहीं, MHA-तंत्र तय करेगा; आयोग का विलोपन नागरिकता-वंचना नहीं बनता।

मुख्य तथ्य

मामला: ADR एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग, WP(C) 640/2025 + 8 संबद्ध, 2026 INSC 564; पीठ: प्रधान न्यायमूर्ति सूर्य कांत व न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची; 27 मई 2026

वैधता-आधार: RP अधिनियम 1950 धारा 21(3) (non-obstante खंड) + अनुच्छेद 324; राज्यव्यापी SIR सम्मिलित

आनुपातिकता: तर्कसंगत संबंध + अत्यधिकता का अभाव + प्रक्रियागत सुरक्षा; उद्देश्य: सूची की शुद्धता/पूर्णता/अखंडता

प्रक्रिया-सुरक्षा: विलोपन नियम 21A-अनुरूप; नोटिस-सुनवाई का सार; दस्तावेज़-वर्गीकरण बौद्धिक मापदंड पर (आधार सम्मिलित)

नागरिकता-सीमा: आयोग की 'सीमित जाँच' केवल निर्वाचनीय परिणाम तक; संदिग्ध-विलोपन MHA/1955-अधिनियम प्राधिकारी को; नागरिकता सिद्ध होने पर पुनः समावेश

तीन परतें — सूची-अखंडता, संस्था-क्षेत्र, नागरिक-सुरक्षा

सूची-अखंडता: नकली/दोहरे/मृत नाम मतदान-अखंडता को भीतर से खोखला करते हैं — SIR जैसा प्रणालीगत शुद्धिकरण निष्पक्ष चुनाव की भौतिक शर्त

संस्था-क्षेत्र: अनुच्छेद 324 की व्यापक शक्ति को न्यायालय ने प्रक्रिया-सीमाओं से बाँधा — आयोग को कार्य-क्षेत्र मिला, पर नागरिकता-निर्णय से बाहर रखा

नागरिक-सुरक्षा: विलोपन का सामना करने वाले के लिए नोटिस-सुनवाई, आधार-समावेश और पुनः समावेश-मार्ग ही असली गारंटी — क्रियान्वयन-निगरानी अनिवार्य

विश्लेषण और आगे की राह

तीन परतों में देखें। (1) शक्ति-पुष्टि, विवेक-सीमा: न्यायालय ने आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता को मजबूत किया, पर 'सीमित जाँच' रेखा खींचकर नागरिकता-अधिकारिता MHA तंत्र में रखी — संस्थागत सीमा-विज्ञान का स्पष्ट उदाहरण। (2) आनुपातिकता का व्यावहारिक अर्थ: राज्यव्यापी व्यायाम भी सुरक्षा-वाल्व (नोटिस, सुनवाई, दस्तावेज़-विकल्प, आधार) के साथ समानुपातिक ठहरा; यह मापदंड भविष्य के SIR/नागरिक-सूची अभियानों का टेम्पलेट बनेगा। (3) क्रियान्वयन-परीक्षा: निर्णय की नैतिकता विलोपन-पुनरीक्षण की गति और पुनः समावेश-तंत्र पर टिकी — MHA को भेजे गए नामों का निपटान-काल और गलत-विलोपन की दर ही सफलता के सूचक; न्यायिक वैधता और प्रशासनिक निष्पक्षता अलग प्रश्न हैं। ध्यान रहे: विश्लेषण निर्णय-पाठ (2026 INSC 564, sci.gov.in, 124 पृष्ठ) पर आधारित; बिहार SIR के आँकड़े/निपटान आयोग-अभिलेख से प्रमाण मानें।

अवधारणा में अंतर

SIR (प्रणालीगत, सार्वभौम पुनरीक्षण — inquisitorial) बनाम सामान्य संशोधन/विलोपन (व्यक्तिगत, adversarial — नियम 21A)। 'सीमित नागरिकता-जाँच' (पात्रता-संतोष, निर्वाचनीय परिणाम) बनाम 'नागरिकता-निर्धारण' (1955-अधिनियम, MHA)। और खंडनीय मान्यता (rebuttable presumption — लाल बाबू हुसैन) बनाम अंतिम प्रमाण — SIR में पहली, पर खंडन प्रक्रिया-सहित।

मेंस दृष्टि

GS-II: चुनाव-शासन, संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 324; GS-I: नागरिकता-प्रश्न। उत्तर में निर्णय-तथ्य (2026 INSC 564, पीठ, धारा 21(3)), आनुपातिकता-तर्क, 'सीमित जाँच' सीमा और क्रियान्वयन-निगरानी रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'मतदाता-सूची की शुद्धता निष्पक्ष चुनाव की पूर्व-शर्त है, पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्वयं नागरिक-अधिकारों की कसौटी है।' ADR निर्णय (2026) के आलोक में विश्लेषण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: SIR-विवाद + निर्णय-सार।

मुख्य भाग में: शक्ति-आधार: धारा 21(3), अनुच्छेद 324, आनुपातिकता; सीमाएँ: 'सीमित जाँच', MHA-संदर्भ, पुनः समावेश; चुनौतियाँ: गलत-विलोपन, निपटान-विलंब, डिजिटल-बहिष्करण; मार्ग: पारदर्शी डेटा, अपील-गति, निगरानी।

निष्कर्ष में: मतदाता-सूची की शुद्धता को नोटिस, सुनवाई, समयबद्ध अपील और गलत-विलोपन के सुधार से जोड़ें; निर्वाचन-आयोग की सीमित पात्रता-जाँच को अंतिम नागरिकता-निर्धारण से अलग रखें। न्यायिक वैधता को हर प्रशासनिक विलोपन की निष्पक्षता का प्रमाण न मानें।

स्रोत

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — निर्णय-पाठ, 2026 INSC 564 (27 मई 2026)
- LiveLaw — निर्णय-रिपोर्ट (27 मई 2026)

मुख्य तथ्य निर्णय-पाठ (sci.gov.in PDF, 124 पृष्ठ) से शब्दशः सत्यापित।

यह भी पढ़ें: ECINET: एक ऐप में मतदाता की सारी सेवाएँ — चुनाव आयोग का डिजिटल एकीकरण और SIR का संदर्भ।

याद रखें: ADR निर्णय आयोग को SIR की शक्ति देता है, पर नागरिकता का फैसला उसके हाथ नहीं छोड़ता — शुद्धिकरण की वैधता अब क्रियान्वयन की निष्पक्षता पर खरी उतरेगी।